भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3080**

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

**बिहार में टोल नीति**

3080. श्री राजा राम सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई टोल नीति में हालिया बदलावों का संज्ञान लिया है, जिसके अंतर्गत राज्य राजमार्गों पर निजी गैर-वाणिज्यिक चौपहिया वाहनों को टोल के भुगतान से छूट दी गई है;

(ख) क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा राज्य राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने के लिए कोई मॉडल दिशानिर्देश या नीतिगत ढांचा जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों को टोल से छूट देने के राजकोषीय प्रभावों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सरकारों के परामर्श से प्रयोक्ता की सुविधा, राजस्व सृजन और राज्य राजमार्ग अवसंरचना के रखरखाव के बीच संतुलन बनाने के लिए कोई एक समान ढांचा विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) राज्य राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर प्रयोक्ता शुल्क/टोल, यदि कोई हो, का संग्रहण संबंधित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और संबंधित राज्य सरकारों के प्रयोक्ता शुल्क/टोल शुल्क नियमों के अनुसार शासित होता है।

तदनुसार, राज्य राजमार्गों पर टोल भुगतान से निजी गैर-वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों को छूट देने, राज्य राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी करने, ऐसी छूटों के वित्तीय प्रभावों का आकलन करने और राज्य राजमार्गों के लिए कोई भी ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करने से संबंधित मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

राज्य राजमार्गों के लिए कोई भी फ्रेमवर्क प्रस्तावित नहीं किया गया है। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, एनएच के खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संगृहीत किया जाता है।

*****